

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 62/2022 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी – IFL Housing Finance LTD., Registerd Address- D-16 First floor above ICICI Bank prashant Vihar, sector 14, Rohini, New Delhi.	उनवान बनाम	
		1. श्री श्याम लाल खटीक निवासी पट्टा नंबर 01, मिसल संख्या 14, ग्राम पंचायत बरडोद, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा
		2. श्रीमती सीमा देवी खटीक निवासी पट्टा नंबर 01, मिसल संख्या 14, ग्राम पंचायत बरडोद, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा
		3. श्री राजमल खटीक निवासी पट्टा नंबर 01, मिसल संख्या 14, ग्राम पंचायत बरडोद, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



प्राधिकृत अधिकारी – श्री विक्रम सिंह

निर्णय

दिनांक : 14.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, IFL Housing Finance LTD., Registerd Address- D-16 First floor above ICICI Bank prashant Vihar, sector 14, Rohini, New Delhi की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को कुल 3,00,000/- रुपये का ऋण दिनांक 06.12.2019 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति रहन रखी गयी – पट्टा नंबर 01, मिसल नंबर 14, ग्राम पंचायत बरडोद, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार)। दिनांक 30.04.2022 तक कुल बकाया ऋण की राशि 3,68,641/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 30.04.2022 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।